

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ० मदनलाल गुजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र स्व० श्री राम चरण जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन जनरल एण्ड प्रोविजन
स्टोर, नगरपालिका के सामने बांदीकुई, जिला दौसा

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 52 व 58

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित ।

—: आदेश :-

दिनांक:- 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ० मदन लाल गुजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 07.12.2022 को 4.42 PM पर मैसर्स जैन जनरल एण्ड प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के सामने बांदीकुई जिला दौसा पर पहुँचा। वहाँ पर श्री अशोक कुमार जैन पुत्र स्व० श्री रामचरण जैन मिला। जिसको अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्स जैन जनरल एण्ड प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के सामने बांदीकुई का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा आवेदन दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स जैन जनरल एण्ड प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के सामने बांदीकुई का निरीक्षण करने पर पाया कि ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) आम जनता को विक्रय करने हेतु 250-250 ग्राम के 16 पैकेट रखे हुए थे। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) के 16 पैकेटों में से 4 पैकेट 250-250 ग्राम के वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 280 रुपये (अक्षरे दो सौ अस्सी रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 250-250 ग्राम 4 नग कुल मात्रा 1 कि.ग्रा. ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) को बराबर-बराबर (एक भाग 250 ग्राम) को अलग अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक AG-3118 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।




आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 08.12.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 08.12.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) की जाँच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 872 / एक्ट / 2022 / 872 दिनांक 15.12.2022 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) एफ.एस.एस.ए की धारा का 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis Branded) एवं खद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम विनियम नं० 2.5(6) के उल्लंघन करने के कारण कान्द्रोवेन (Contravene) स्तर का भी पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 872 / एक्ट / 2022 / 872 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) का नमूने में Batch Lot no., M.R.P. Rs., Date of Packing, Nett Qty weight, Address of Mfr/Packer, FSSSI Lic No. अंकित नहीं से Contravention to the Regulation no. 4(2) & 5(6), 5(7), 5(8), 5(8), 5(9), 5(10) of FS&S (Labelling & Display) Regulation 2020 होने से मिथ्याछाप (Mis Branded) एवं एफएसएसए 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन होना का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) के नमूने की जांच में किसी प्रकार से अवमानक स्तर का नहीं पाया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजार से उत्तम किस्म की किशमिश बाजार से खरीदकर उनको 250-250 ग्राम पैकिट में तैयार कर विक्रय किया गया है। नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त पैकिटों पर नियमानुसार जानकारी नहीं की गई जिससे उक्त नमूना मिथ्याछाप की श्रेणी में आया है। प्रार्थी द्वारा इसमें नियमानुसार संशोधन कर दिया जायेगा एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाये जाने का अनुरोध किया गया।



हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./872/एक्ट/2022/872 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) का नमूने पर Batch Lot no., M.R.P. Rs., Date of Packing, Nett Qty weight, Address of Mfr/Packer, FSSSI Lic No. अंकित नहीं होने से मिथ्याछाप (Mis Branded) एवं Contravention to the Regulation no. 4(2) & 5(6), 5(7), 5(8), 5(8), 5(9), 5(10) of FS&S (Labelling & Display) Regulation 2020 तथा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ ड्राई फ्रुट्स किशमिश सलेक्टेड ब्राण्ड (Dry Fruits Raisins Selected Brand) मिथ्याछाप (Mis Branded) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अशोक कुमार जैन पुत्र स्व० श्री राम चरण जैन एफ. बी.ओ. मैसर्स जैन जनरल एण्ड प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के सामने बांदीकुई, जिला दौसा पर 7000/- (अक्षरे सात हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



क्रमांक / FSSA/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र स्व० श्री राम चरण जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन जनरल एण्ड प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के सामने बांदीकुई, जिला दौसा।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 26.09.2023

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा